| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>श्रीमती सुमित्रा देवी बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार जोधपुर )<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 204 / 2019 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 02.12.19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व. शहीद श्री नरेन्द्र कुमार निवासी रोडवाल तहसील नीमराणा जिला अलवार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.07..2019 में उसके द्वारा (1) कार्यालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पत्र कमांक / सू.अ.अ. / 2018 / 576 दिनांक 28.11.18 के साथ संलग्न किये गये समस्त कायगजातों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध सें, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( तहसीलदार जोधपुर ) से आजदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Date: 2020.01.11 13:18:57 IST
Reason: SelfAttested